



प्रेस नोट

दिनांक- 31.10.2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

एस0एस0पी0 सहारनपुर के निर्देशन में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा लूटेरो के विरूद्ध की गयी बडी कार्यवाही

- 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार
- मोटरसाइकिल प्लेटिना(UP 11 X 3011)
- लूट के 3000/- रू0 नकद
- 01 ए0टी0एम0 कार्ड
- 02 चाबी बडी ताले की
- 01 मोबाइल फोन वीवो रंग नीला

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.2022 को थाना क्षेत्र सदर बाजार मे पैरामाउन्ट कालौनी के सामने दिल्ली रोड सहारनपुर मे महिला से दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लूटेरो द्वारा पर्स छीनने की घटना के सम्बन्ध मे कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन, सहारनपुर द्वारा वरि0उ0नि0 कपिल देव उ0नि0 विकास चारण, का0 1910 कपिल, का0 1473 सन्दीप कुमार को चैकिंग हेतू निर्देशित किया गया। चैकिंग के दौरान कस्बा रामपुर मनिहारन मे हाथी गेट पर सूचना के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल सवार लोगो को घेर घोट कर पकड लिया पूछने पर दोनो ने अपने नाम 1. दीपक पुत्र महिपाल निवासी लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर 2. राहूल उर्फ पाटिल पुत्र विजय निवासी लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर बताया। जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल यू0पी0 11 एक्स-3011 व लूट का सामान- 3000 रू0 नकद, 01 ए0टी0एम0 कार्ड, 02 चाबी बडी ताले की, 01 मोबाइल फोन वीवो रंग नीला बरामद हुआ घटना के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन मे मु0अ0स0 365/22 धारा 414 भा0द0वि0 पजीकृत किया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

1. दीपक पुत्र महिपाल निवासी लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. राहूल उर्फ पाटिल पुत्र विजय निवासी लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

1. मो0सा0 प्लेटिना चोरी की यू0पी0 11 एक्स-3011 इंजन-DUUBRF16979 16979 चे0न0-MD2DDDZZRPF33287
2. लूट का सामान 3000 रू0 नकद एक ए0टी0एम0 कार्ड, दो चाबी बडी ताले की, एक मोबाइल फोन वीवो रंग नीला

पुलिस पार्टी –

1. वरि0उ0नि0 कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास चारण थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर
3. का0 1910 कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर
4. का0 1473 सन्दीप कुमार थाना रामपुर मनिहारन,, सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक-31.10.2022

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी से बलात्कार करने वाले तथा धोखाधडी के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की धर पकड अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में अलग अलग मुकदमो में 02 वांछित अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार ।

1.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दिनांक-30.10.2022 को समय - 16.45 बजे नाबालिग लडकी से बलात्कार के मुकदमा अ0सं0 - 395/2022, धारा - 452/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोस्को अधि0 व 67 IT Act में वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ राजा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया है ।

2.उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह नागर द्वारा मय हमराही फोर्स के दिनांक - 31.10.2022 को समय - 09.45 बजे धोखाधडी के मुकदमा अ0सं0 - 202/2022, धारा - 420,427,406 आईपीसी में वांछित एक अभियुक्त सुशील शर्मा पुत्र बारूलाल निवासी ग्राम सौराना, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

- 1.दीपक उर्फ राजा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.सुशील शर्मा पुत्र बारूलाल निवासी ग्राम सौराना, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह नागर, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.कां0 467 जगप्रवेश, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 4.कां0 339 दीपक भारद्वाज, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 5.कां0 1531 विक्रान्त दांगी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



प्रेस नोट दिनांक 31/10/2022

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो-निर्देशो के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 216/22 धारा 498ए/328/323/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज अधि0 की वांछित **अभियुक्त सहरिन पुत्री अशलम पत्नी सुमियान नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को आज दिनांक 31/10/22 को अभियुक्त को थाना क्षेत्र गंगोह से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सहरिन पुत्री अशलम पत्नी सुमियान नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- 2.का0 1556 रामसिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- 3.का0 2165 लोकेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- 4.म0का0 834 प्रियका रानी,थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



प्रेस नोट दिनांक-31.10.2022

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा छठ पूजा मे ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के राजकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनक्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 30.10.22 को छठ पूजा शान्ति व्यवस्था मे ड्यूटीरत का0 81 यतेन्द्र कुमार द्वारा एक व्यक्ति को छठ पूजा के दृष्टिगत मानकमऊ बस स्टैण्ड पर रूट डायवर्जन का पालन करने के लिए कहा गया तो व्यक्ति द्वारा दबंगई दिखाते हुए आरक्षी के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर राजकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न की गई । जिसे मौके पर ही ड्यूटीरत अन्य कर्मगण की सहायता से दिनांक 30.10.22 को समय करीब 16.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति ने अपना नाम योगेश शर्मा उर्फ विक्की पुत्र हरीश शर्मा निवासी मकान नं0 9 न्यू बहल कालोनी लुधियाना शहर थाना मेहरबान जिला लुधियाना (पंजाब) बताया। योगेश शर्मा उर्फ विक्की उपरोक्त के द्वारा उपयोग की जा रही मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0- UP11-AH-9985 को कागजात न दिखा पाने के कारण अन्तर्गत धारा-207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। योगेश शर्मा उर्फ विक्की उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 399/22 धारा 332/353/504 भादवि पंजीकृत कर चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. योगेश शर्मा उर्फ विक्की पुत्र हरीश शर्मा निवासी मकान नं0 9 न्यू बहल कालोनी लुधियाना शहर थाना मेहरबान जिला लुधियाना (पंजाब) ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. का0 81 यतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. का0 2240 पुलकित थाना जनकपुरी सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक 31.10.2022

थाना गागलहेडी पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.10.22 को उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार सागर व का० 1259 विनीत तोमर द्वारा अभियुक्त नासिर पुत्र इकराम निवासी मौहउद्दीनपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर सम्बंधित मु०अ०सं० 359/22 धारा 376,504,506,120(बी) भादवि को थाना क्षेत्र गागलहेड़ी से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

(1) नासिर पुत्र इकराम निवासी मौहउद्दीनपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1) उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

(2) का० 1259 विनीत तोमर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।